

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

25 / 2020
26-2-2020

लड्डू पुत्र जन्सी मीणा निवासी सहीदाबाद तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
-अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला- टोंक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार उनियारा दिनांक 26-9-2019 प्रकरण सं० 1719/2019

उपस्थिति : (1) श्री विक्रम जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 25-11-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 26-9-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 518 रकबा 3.29 है०, वाके ग्राम सहीदाबाद तह० उनियारा पर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील व लिखित बहस में अंकित किया है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है और नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के वितरीत है। अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है कि उक्त भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19-4-1972 को उसके तत्कालीन खातेदार से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तब से अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज है एवं काश्त चला हा रहा है। अपीलान्ट को उस समय इस बात का ज्ञान नहीं था कि विक्रेता अनुसूचित जाति का है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि उसके तत्कालीन खातेदार से खरीद कर तत्कालीन खातेदार को प्रतिफल राशि अदा की थी



जिला कलेक्टर
टोंक



ओर तत्कालीन खातेदार ने अपीलान्ट के हक में विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक अधिकारी अलीगढ के समक्ष निष्पादित करवाया था तब से अपीलान्ट बिना किसी बाधा के उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि उक्त भूमि अनुसूचित जाति के नाम की भूमि थी तो अपीलान्ट ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष पेश किया था ओर उक्त दावे में भूमि को दिनांक 10-6-2015 को सिवायचक घोषित किया गया था। अपीलान्ट उक्त भूमि के सिवायचक घोषित होने से पूर्व से ही वर्ष 1972 से उक्त भूमि पर बतोर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट के आवेदन पर ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि को सिवायचक घोषित किया गया है, इस कारण भी उक्त आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 30-12-2019 को हुई ओर अपीलान्ट ने उसी दिन नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया, जिस पर अपीलान्ट को उसी दिन उक्त निर्णय की प्रति प्राप्त हुई। अपीलान्ट की ओर से जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की जा रही है, अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की है जो देरी हुई है वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। देरी को क्षमा करने हेतु अपीलान्ट पृथक से धारा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-9-2019 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 518 रकबा 3.19 है०,वाके ग्राम सहीदाबाद तह० उनियारा पर सरसों की तूड़ी डाल कर एवं उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 330/18 दिनांक 25-10-2018 से बेदखल किया गया था अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट द्वारा जिस खसरा नम्बर की भूमि के अप्रमाणित दस्तावेज पेश किया है वह भी खसरा नम्बर 1083 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2843 रकबा 3.29 है० भूमि से सम्बन्धित हैं। जबकि यह प्रकरण आराजी खसरा नम्बर 518 रकबा 3.29 है० से सम्बन्धित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 518 रकबा 3.29 है०,वाके ग्राम सहीदाबाद तह० उनियारा में राजकीय सिवायचक भूमि पर सरसों की तूड़ी जालकर व उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 330/18 दिनांक 25-10-2018 से बेदखल किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध पूर्व दस्तावेजों से साबित है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट द्वारा 1972 से भूमि पर कब्जा होने




जिला कलेक्टर
दफ्तर

व काश्त करने का कोई पुख्ता सबूत भी पेश नहीं किया है, जो दस्तावेज पेश किये हैं व अप्रमाणित व अपठित हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 26-9-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25-11-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोक